



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ 23, गुरुवार, शके 1938-जुलाई 14, 2016

Asadha 23, Thursday, Saka 1938-July 14, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 14, 2016

जी.एस.आर.30 :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 16 का संशोधन.- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, के नियम 16 में,-

- (i) उप-नियम (1) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि कोई पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उस विषयवस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर पांच लाख रुपये से कम हो किन्तु यह किसी वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि उपापन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा किया जायेगा।"

[संख्या F.1(8)वित्त/सविलोनि/2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव,

वित्त (बजट) विभाग।